योजना ठप्प | जानकारों के मुताबिक नहीं निकल रहा किराया, घाटे में चल रहे स्टॉल

## दम तोड़ती नजर आ रही एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना

**जबलपुर, नवभारत।** रेलवे द्वारा शुरू की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना अब शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों में पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। मालूम हो कि इस योजना के तहत जबलपुर एवं आसपास के रेलवे स्टेशनों पर बाकायदा स्टाल बनाकर शहर की पहचान बताने वाली खोवे की जलेबी, नमकीन मिक्सचर, संगमरमर से बनी मूर्तियां एवं अन्य हस्तशिल्प से निर्मित उत्पाद बेचे जाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सुनहरी पहल दम तोड़ती नजर आ रही है।

### क्या थी पहल?

जानकारों कि माने तो केंद्र सरकार की वोकल फोर लोकल नीति के तहत रेलवे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को 2023 में शुरू किया था। योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क स्थापित किए गए थे। इन कियोस्क पर आवेदन कर लघु उद्यमी अपने उत्पादों को बेच सकते थे। इस योजना के अंतर्गत जबलपुर स्टेशन में यहां की प्रसिद्ध खाने-पीने की चीजों के अलावा हस्तशिल्प कलाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता था। लेकिन बिक्री कम होने के कारण अब ये स्टॉल धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। यह स्टॉल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 6 पर है। जानकारों का मानना है कि इन स्टॉलों पर बिक्री कम होती है। जिसका मुख्य कारण एक तो यह है कि स्टॉल मुख्य रेलवे स्टेशन के आगमन द्वार पर स्थापित है, परिणाम स्वरूप बाहर से यात्रा कर आने वाले यात्रियों की इस पर नजर नहीं पड़ पाती है।

### नहीं बचता टाइम

लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाली यात्रियों की माने तो मुख्य रेलवे स्टेशन में यात्री गाड़ियों का ठहराव मात्र 10 मिनट का रहता है। ऐसे में ट्रेनों के रुकते ही यात्री पानी या खाने-पीने की वस्तुएं खरीदने में ही व्यस्त हो जाते है, स्टॉल की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसे में बिक्री के अभाव में जबलपुर का स्टॉल करीब दो महीने से घाटे में चल रहा है।

### इनका कहना है

रेलवे द्वारा शुरू की गई इस अनोखी पहल को घाटे में जाते देख बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। रेलवे को इसे रिवाइव करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।

**जाकिर**

स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को जोर शोर से प्रमोट करना चाहिए। इससे हमारे शहर का नाम होगा

**हसनत**

हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया डाटा

## सीबीआई ने हाईकोर्ट में पेश किया नर्सिंग कॉलेज की जांच का डाटा

**जबलपुर।** प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की जांच का डाटा सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में पेष किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल के निर्देष पर सीबीआई ने जांच डाटा याचिकाकर्ता को प्रदान किया। याचिका पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है। प्रदेष में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित फर्जीवाडे को चुनौती देते हुए लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई की तरफ से सूटेबल,अनसूटेबल तथा आशिक कर्मियों पाये जाने वाले कॉलेज की सूची हाईकोर्ट में पेष की गयी थी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से आवेदन पेष आवेदन में कहा गया था कि सीबीआई जांच में सूटेबल पाये गये नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत फैकल्टी फर्जी है। सीबीआई ने उक्त कॉलेज की फैकल्टी की मार्कशीट रिपोर्ट पेश करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गयी मार्कशीट को फर्जी करार दिया था। याचिकाकर्ता ने युगलपीठ को बताया गया कि उक्त कॉलेज की फैकल्टी की मार्कशीट मप्र नर्सिंग काउंसलिंग के पोर्टल से उन्होंने निकाली है। युगलपीठ ने कोर्ट में लैपटॉप बुलाकर पोर्टल की जांच की। युगलपीठ ने पाया कि सीबीआई तथा याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गयी मार्कशीट में अलग-अलग पायी गयी थी। युगलपीठ ने सीबीआई को निर्देशित किया था कि नर्सिंग कॉलेज की जांच रिपोर्ट का डाटा याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाये। सीबीआई ने आदेश का पालन करते हुए जांच डेटा युगलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।

### सेवानिवृत्ति की तिथि तक तृतीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करें

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त शिक्षक के हक में सेवानिवृत्ति लाभ संशोधित करने का राहतकारी आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत एक जनवरी 2016 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक 31 दिसंबर 2020 तक तृतीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करें। यही नहीं अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन भी संशोधित करने कहा गया है। न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करने कहा है। याचिकाकर्ता सात अगस्त 2022 से वास्तविक भुगतान तिथि तक छह प्रतिशत की दर से भुगतान का हकदार होगा।याचिकाकर्ता खमरिया बोरी, शाहनगर पन्ना निवासी गणेश सिंह ठाकुर की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा।

## निगम परिसर में गंदगी देख निगमायुक्त ने अधिकारियों को लगाई फटकार

**जबलपुर।** नवागत आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आज जनसुनवाई के उपरांत नगर निगम मुख्यालय परिसर का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होने कई स्थानों पर गंदगी पाई जिसको देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की आयुक्त ने अधिकारियों कर्मचारियों को इस बात की सख्त हिदायत दी की वे कार्यालय परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनायें रखें। साथ ही स्वच्छ वातावरण में कार्य करने के निर्देश दिये। आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम कार्यलय परिसर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने वालो और गंदगी फैलाने वालों पर आगामी समय पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

### रेलवन ऐप यात्रियों के लिए मददगार

**जबलपुर।** रेल प्रशासन यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने हेतु एक नया ऐप, रेलवन, लॉन्च किया। इस ऐप का मूल उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, जिसे सरल और स्पष्ट यूआई (यूज़र इंटरफ़ेस) के माध्यम से साकार किया गया है। यह न केवल सभी सेवाओं को एक स्थान पर समाहित करता है, बल्कि सेवाओं के बीच एकीकृत संपर्क भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता को भारतीय रेल सेवाओं का समग्र पैकेज मिलता है। रेलवन ऐप यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है।

## अघोषित बिजली कटौती पर युकां ने घेरा विद्युत कार्यालय

**जबलपुर।** अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मिशन कम्पाउंड कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विजय रजक ने बताया कि विगत एक माह से शहर में चारों ओर बिजली कटौती हो रही है। पूरे शहर में चारो ओर दिनभर में तीन से चार घंटे आघोशित बिजली कटौती चल रही है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर हर बार लाइन विभाग द्वारा लाइन फॉल्ट या मेंटनेंस का बहाना बना कर टाल दिया जाता हैं, संगठन का कहना है कि बिजली विभाग की इस बिजली कटौती की मनमानी ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों व घरों के अस्वस्थ परिजनों के साथ ही रोज उपयोग में आने वाले विधुत उपकरण भी नही चलने से लोग परेशान हैं, युवा कॉंग्रेस के साथ इस मौके पर कॉंग्रेस ग्रामीण व शहर अध्यक्ष संजय यादव,सौरभ शर्मा, चिंटू चौकसे ने भी बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा से बात की जिसके बाद अधीक्षक अभियंता ने अस्वाशन दिया कि 2 दिन के अंदर शहर वाशियो को अघोषित बिजली कटौती की समस्या का समाधान करने की बात कही गई। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव, सौरभ शर्मा, चिंटू चौकसे, विजय रजक, मनीष चंसोरिया, सिद्धांत जैन, कौशल यादव, अजय चक्रवर्ती, मोहसिन खान, शुभम रजक, अनुज यादव, राहुल यादव, राजा वंशकार, राहुल रजक, स्वर्णिम सिमय्या,सुमित गुप्ता, मोहित सुफेले, प्रियांश दीवान, जिशान मंशुरी, आदि कॉंग्रेस जन उपस्थित थे।

## शहर की प्रमुख सड़कों पर पेंच वर्क शुरू

जबलपुर। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विगत दिवस ही नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिये थे कि जल्द से जल्द बारिश के कारण सड़कों पर उभर आये गड्डो को भरने का कार्य प्रारंभ किया जाये। महापौर की घोषणा अनुरूप तत्काल प्रभाव से सड़कों का मरम्मत कार्य एवं पेंच वर्क कार्य प्रारंभ हो गया है। यातायात की दृष्टि से पहले शहर की प्रमुख सड़कों पर यह कार्य किया जा रहा है। जल्द ही अन्य सड़को का पेंच वर्क कार्य पूर्ण कर यातायात सुगत होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेंगी। मॉल गोदाम चौक पर स्थित राजा शंकरशाह, रघुनाथशाह की प्रतिमा स्थल के दोनों तरफ की सड़कों को दुरूस्थ करने के निर्देश महापौर ने दिये थे। महापौर श्री अन्नू ने बताया कि नवरात्रि पर्व के पूर्व शहर की सभी प्रमुख सड़कों को दुरूस्त किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, निगमाध्यक्ष रिकुंज विज, एम.आई.सी. सदस्य विवेक राम सोनकर, पार्षद श्रीमती मधुवाला सिंह, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र मिश्रा, संभागीय यंत्री संतोष पाण्डेय, वीरेन्द्र पाण्डेय, अभिषेक तिवारी आदि उपस्थित रहे।

## दिव्यांग की व्यथा सुनने जनसुनवाई कक्ष से उठकर नीचे आये कलेक्टर

**जबलपुर।** कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित की गई। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आये आवेदकों की समस्याओं को सुनने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह स्वयं जनसुनवाई में मौजूद थे। उन्होंने काफी देर जनसुनवाई में रहकर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये।जनसुनवाई में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई दी। दिव्यांगता की वजह से प्रथम तल पर स्थित जनसुनवाई कक्ष तक पहुंचने में असमर्थ शहपुरा तहसील के ग्राम बेलखेड़ा के बल्लू साहू की व्यथा को कलेक्टर ने खुद नीचे जाकर सुना। बीमारी की वजह से अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ और नेत्र दिव्यांग बल्लू दोनों बेटियों के सहारे बेलखेड़ा से कलेक्ट्रेट पहुँचे। बल्लू ने आधार पंजीयन में आ रही कठिनाई से कलेक्टर को अवगत कराया। श्री सिंह ने बल्लू की व्यथा को न केवल धैर्य पूर्वक सुना बल्कि मौके पर ही जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को उसके आधार पंजीयन में आ रही कठिनाई को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में आम नागरिकों से उनकी समस्याओं से संबंधित 135 आवेदन प्राप्त हुये। इन प्रकरणों में 32 पुराने आवेदन भी शामिल थे।

### पत्नी-मां से विवाद के बाद युवक ने लगाई फांसी

**जबलपुर।** रांझी थाना अंतर्गत गांधी चौक में पत्नी-मां से हुए झगड़े के बाद युवक ने फांसी लगाकरआत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक गांधी चौक विश्वकर्मा मोहल्ला निवासी इंदर केवट 32 वर्षीय ठेकेदारी का काम करता था। मां, पत्नी और दो बच्चो के साथ रहता था। कल सुबह किसी बात को लेकर पत्नी और मां से विवाद हुआ। इसके बाद रात में इंदर शराब पीकर पहुंचा और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

## महापौर-निगमायुक्त ने सुनीं समस्याएं

**जबलपुर।** नगर निगम की जनसुनवाई कक्ष में नागरिकों के समस्याओं की सुनवाई करने एक साथ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार पहुंचे और मौके पर ही सुनवाई कर अधिकारियों को समक्ष में बुलाकर निराकरण कराया। सुनवाई के पहले महापौर एवं निगमायुक्त ने नागरिकों को अपने बगल में स्थान देकर बैठाया उन्हे पहले चाय पिलाई और फिर उनकी धैर्य से समस्याएं सुनी। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों से कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई। कुछ शिकायतों का राजस्व एवं स्वास्थ विभाग द्वारा त्वरित निराकरण किया गया। जनसुनवाई के दौरान अपर आयुक्त वी.एन.बाजपेई, प्रशांत गोटिया, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, जनसुनवाई प्रभारी सहायक आयुक्त वेदप्रकाश, उपस्थित थे।

## दरिंदें ने स्कूल के पीछे लूटीं युवती की आबरू

**जबलपुर।** शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल के पीछे एक दरिंदें ने युवती की आबरू लूट ली। बेलखेड़ा पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव में समोसे की दुकान लगाने वाले परसराम गौड ने शासकीय स्कूल के पीछे उसे जबरदस्ती रोककर दुष्कर्म किया और धमकाते हुए चला गया। बाद में पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई जिसके बाद परिजन पीड़िता को थाने लेकर पहुंचे जहां पीड़िता ने पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

### मंदिर के पीछे मिली सड़ी गली लाश

**जबलपुर।** हनुमानताल थाना अंतर्गत गोपाल लाल जी मंदिर के पीछे एक युवक की सड़ी गली लाश पड़ी मिली। मृतक कौन है और कहा का रहने वाला है उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता नहीं चल सका पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सुनील रैकवार 38 वर्ष निवासी सूजी मोहल्ला जमुनिया कुआं के आगे गोहलपुर ने सूचना दी कि वह हनुमानताल में साफ सफाई का काम करता है सुबह लगभग 8 बजे तालाब किनारे बने गोपाल लाल जी मंदिर के पीछ एक अज्ञात पुरूष उम्र लगभग 35-40 वर्ष का पानी में ओंधा उतरा रहा है। शव कुछ दिन पुराना लग रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं।

## किशोर को चाकू से गोदा

**जबलपुर।** रांझी थाना अंतर्गत मानेगांव तालाब के एक किशोर को युवक ने चाकू से गोद दिया। हमले में घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि रीतेश अहिरवार 16 वर्ष निवासी मानेगांव तालाब के पास रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात लगभग 9 बजे बड़े भाई लक्की अहिरवार एवं उनके दोस्त दीपांशु कोल के साथ मानेगांव तालाब के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे तभी अजय बेन एवं 17 वर्षिय किशोर आकर शराब पीने के लिये एक हजार रूपये की मांग करने लगे, उसने रूपये देने से मना किया तो किशोर ने उसे पकड़ लिया और अजय बेन ने चाकू से हमलाकर उसके दाहिने पुट्ठे में चोट पहुँचा दी दोनों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

### आठ फीट लंबा सांप देख मचा हड़कंप

**जबलपुर।** तिलवारा थानांतर्गत रमनगरा हीरा लाल के घर पर रसोईघर में शाम साढे सात बजे एक आठ फीट लंबा सांप देख कर वहां हड़कंप मच गया। इसकी सूचना हीरालाल के पुत्र बंशी लाल ने सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांप के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली।


**In The Court Of XXVII Civil Judge, Class-I, District Court, Jabalpur**
**Presiding Officer : श्वेता खरे**

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमाक (MJC SUC/0000117/2025)

उमा बाई साहू ...... आवेदक

Vs

आम जनता ...... अनावेदक

Process Id-/2025

प्रेषिती- पेशी दिनांक :- 27/10/2025

(1) आम जनता पता- पता जबलपुर मध्यप्रदेश

(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक उमा बाई साहू पता म.नं. 312 पूर्वी घमापुर करियापाथर आचार्य विनोवा भावे वार्ड जबलपुर (म.प्र.) मृतक स्व. त्रिवेणी प्रसाद साहू निवासी म.नं. 312 आचार्य विनोवा भावे वार्ड ईस्ट घमापुर जबलपुर (म.प्र.) की पोस्ट आफिस शाखा बाई का बगीचा जबलपुर (म.प्र.) में जमा संपूर्ण राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 27 October 2025 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 27 October 2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें । सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 11 September 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा (श्वेता खरे)

सील सत्ताईसवें व्यवहार न्यायधीश वरिष्ठ खंड जबलपुर (म.प्र)

**कृपया ध्यान दें**:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।



**In The Court Of III Additional District and Session Judge, District Court, Jabalpur**
**Presiding Officer : इरशाद अहमद**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(MJC/0000856/2025)

कविता सिंह ......................वादी

Vs

आम जनता . ...................प्रतिवादी

Process Id-/2025

पेशी दिनांक :- 07/11/2025

प्रेषिती-

(1) आम जनता पता- पता जबलपुर मध्यप्रदेश

यह कि प्रार्थी कविता सिंह ने आपके विरूद्ध एमजेसी दावा वास्ते वसियत प्रदान किये जाने बावद धारा 278 आफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 12 September 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया हैं।

न्यायालय की मुद्रा (इरशाद अहमद)

सील जिला न्यायाधीश तृतीय जबलपुर (म.प्र)

**कृपया ध्यान दें**:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।


मनमानी | सड़कों पर फेंक रहे कारों से निकली पन्नियां और फिल्में

## बेखौफ बिक रहे हूटर और अमानक नंबर प्लेट

**जबलपुर, नवभारत।** शहर के हृदय स्थल कहलाने वाला सिविक सेंटर अब अघोषित कार बाजार का स्वरूप लेता जा रहा है। यहां बनी दुकानों में नगर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध किए गए हूटर, अमानक नंबर प्लेट, काली फिल्मों को बेधड़क बेचा जा रहा है। आलम ये है कि कारों और दो पहिया वाहनों में लगने वाले उपकरणों का कचरा दुकानदार सड़कों पर फेंक रहे हैं। यही नहीं यहां मौजूद चाय पान नाश्ते के होटल संचालक भी सड़कों पर कचरे के ढेर लगा देते हैं। जिससे स्थानीय लोग भी अब त्रस्त हो चुके हैं। सिविक सेंटर के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। दुकानो से निकलने वाली सामग्री जैसे काली फिल्म, पन्नी, कचरा सड़कों पर खुलेआम फेका जा रहा हैं। इससे आमजन परेशान है। प्रतिदिन सुबह नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा नगर के मुख्य मार्गों सहित दुकानों के सामने पड़ा हुआ कचरा भरकर ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद पुन: खान-पान का सामान और कारों में लगने वाले उपकरणों को बेचने वाले दुकानदार पूरे दिन कचरे को सड़क पर फेंक देते हैं।

### निगम करे चालानी कार्यवाही

सिविक सेंटर की दुकानों में बिकते प्रतिबंधित उपकरणों और सड़को पर फैलाई जा रही गंदगी के खिलाफ नगर निगम को दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही करनी चाहिए। अभी निगम की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि गंदगी फैलाने वालों को जुर्माने का डर नहीं है। प्रतिदिन सफाई कर्मियों द्वारा सफाई की जा रही है इसके अलावा जो लोग जानबूझकर गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।

### इनका कहना है

शहर को साफ सुथरा रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है अगर आज हम अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे तो यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा।

**अन्नू अंसारी**

जबलपुर ने लगातार साफ सफाई के प्रति मेहनत की है और इसका फल भी हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में देखने को मिला। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी गलतियों के कारण हम पिछड़ सकते हैं।

**विजय**


**नगर पालिक निगम, जबलपुर**
**जोन क्र.-07 अधारताल जबलपुर (म.प्र.)**
क्र./सं.अधि./07/M.E.N.P.NO.74/2025-26
दिनांक:- 26/08/2025

**भवन नामांतरण सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्रेता श्रीमति आरती कोरी पति स्व. श्री वीरेन्द्र कोरी व अन्य भवन क्रमांक 3372 से 3375 में से 3372 से 74 एवं ख.नं. 140 का भाग संपत्ति कर/पिन नंबर 1000430760 विक्रेतागण / पंजीकृत गृहस्वामी श्री जिट्टूलाल पिता श्री करोड़ीलाल पटेल के भाग पर वार्ड निर्मल चंद जैन के कुल प्लाट रकवा / निर्मित क्षेत्रफल में से विक्रय प्लाट रकवा वर्गफुट जिस पर निर्मित भूतल 1132 में से 872 व.फु. एवं प्रथम तल व.फु. पर न्यायालय आदेश, खसरा नकल, आधारकार्ड, के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त भवन क्रमांक पर दर्ज प्रविष्टि के स्थान/क्रय भाग पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया है, जिस किसी को उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अंदर संभागीय कार्यालय क्रमांक 07 में, प्रमाण एवं दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत करें ।

संभागीय अधिकारी
क्रमांक-07 अधारताल
नगर पालिक निगम जबलपुर



**नगर पालिक निगम, जबलपुर**
**जोन क्र.-07 अधारताल जबलपुर (म.प्र.)**
क्र./सं.अधि./07/M.E.N.P.NO.72/2025-26
दिनांक:- 01/09/2025

**भवन नामांतरण सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्रेता श्रीमति दिशा झा पति स्व. श्री रितेश झा व अन्य भवन क्रमांक 2148 संपत्ति कर/पिन नंबर 1000432667 विक्रेतागण / पंजीकृत गृहस्वामी कृपाशंकर झा पिता स्व. श्री रामचरन झा के भाग पर वार्ड निर्मल चंद जैन के कुल प्लाट रकवा / निर्मित क्षेत्रफल में से विक्रय प्लाट रकवा वर्गफुट जिस पर निर्मित भूतल 1772 आ. स्वयं 180 व्या. किराएदार व.फु. एवं प्रथम तल व.फु. पर मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त भवन क्रमांक पर दर्ज प्रविष्टि के स्थान/क्रय भाग पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया है, जिस किसी को उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अंदर संभागीय कार्यालय क्रमांक 07 में, प्रमाण एवं दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत करें ।

संभागीय अधिकारी
क्रमांक-07 अधारताल
नगर पालिक निगम जबलपुर



**नगर पालिक निगम, जबलपुर**
**जोन क्र.-07 अधारताल जबलपुर (म.प्र.)**
क्र./सं.अधि./07/M.E.N.P.NO.73/2025-26
दिनांक:- 26/08/2025

**भवन नामांतरण सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्रेता श्री रामचरण, पिता स्व. हरीलाल व अन्य भवन क्रमांक 1921/1 ख.नं. 133/1/2 संपत्ति कर/पिन नंबर 1000430913 विक्रेतागण / पंजीकृत गृहस्वामी श्री जिट्टूलाल पिता श्री करोड़ीलाल पटेल के भाग पर वार्ड निर्मल चंद जैन के कुल प्लाट रकवा / निर्मित क्षेत्रफल में से विक्रय प्लाट रकवा वर्गफुट जिस पर निर्मित भूतल 2770 R.C.C 446 टीन शेड व.फु. एवं प्रथम तल व.फु. पर न्यायालय निर्णय की छायाप्रति, खसरा नकल, के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त भवन क्रमांक पर दर्ज प्रविष्टि के स्थान/क्रय भाग पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया है, जिस किसी को उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अंदर संभागीय कार्यालय क्रमांक 07 में, प्रमाण एवं दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत करें ।

संभागीय अधिकारी
क्रमांक-07 अधारताल
नगर पालिक निगम जबलपुर



**MP POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.**
BLOCK NO.7, SHAKTI BHAWAN, RAMPUR, JABALPUR (M.P.)
OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER (O&M) MPPKVVCL, MANDLA
Website: www.mpez.co.in, email: se9449500@yahoo.co.in
Phone: 07642-250209, 250902

No. SEM/O&M/PUR/TS/2654 **NOTICE INVITING TENDER** dtd:-11.09.2025

Online Tenders are invited for following works under (O&M) Circle MPPKVVCL Mandla

| Sr. No. | T.S. No. (For e-Tendering) DISCOM/EZ/PUR | NAME OF ITEMS | APPROX. VALUE (Rs. in Lakhs) | TENDER FEE (in Rs) | Due date & times of Opening of Tender online from 14.00 Hrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS.NO. SEM/O&M/PUR/ TS/2654 Date 11-09-2025 (e-Tender No. 2025_PKVVC_451192_1 | Survey, installation, testing and commissioning of new 5 MVA 33/11Kv Jamgaon Substation under different schemes in the area of O&M Circle MPPKVVCL, Mandla | 106.82 | Rs. 5900/- (Rs.5000+ GST 18% Rs.900/-) | 22/09/2025 |

* Other details can be seen in the complete tender documents available on e-portal https://mptenders.gov.in.

SAVE ENERGY FOR BETTER TOMORROW S.E. (O&M) MPPKVVCL, MANDLA

" विद्युत अनियमितता संबंधी शिकायत के लिए वी मित्र ऐप डाउनलोड करें और पाएं रू. 50,000 तक का इनाम। "